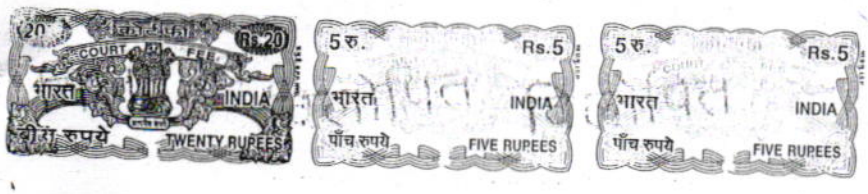

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण क्रमांक– /2015 निग० 2650–दो/15

1– प्रेमनारायण श्रीवास्तव पुत्र श्री द्वारका प्रसाद श्रीवास्तव

2– हेमन्त कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री प्रेमनारायण श्रीवास्तव

दोनो निवासी वर्मा शैल पेट्रोल पम्प के सामने,

मऊ रोड, टीकमगढ़ तह. व जिला–टीकमगढ़ म.प्र.

3– अम्बिका प्रसाद पुत्र द्विवेदी पुत्र श्री गौरीशंकर द्विवेदी

निवासी पुराना बस स्टैण्ड, टीकमगढ़ तहसील व

जिला–टीकमगढ़ म.प्र.

....निगराकारगण

बनाम्

1– गोविन्दसिंह सिसौदिया पुत्र श्री शिवराजसिंह सिसौदिया

निवासी मातौल तहसील खरगापुर, हाल निवासी–

मामौन दरवाजा, टीकमगढ़ तहसील व जिला–

टीकमगढ़ (म.प्र.)

2– महिला हरबाई पत्नि स्व. मोहन काछी

3– शिवचरन पुत्र बारेलाल काछी

4– अनन्दी पुत्र बारेलाल काछी

5– रवि पुत्र बारेलाल काछी

क्रमांक– 2, 3, 4, 5 निवासी ग्राम पुराना बस स्टैण्ड,

टीकमगढ़ तहसील व जिला–टीकमगढ़ म.प्र.

6- म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़

....अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्व आदेश न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय, टीकमगढ़ म.प्र. प्रकरण क्रमांक–180/बी–121/2012–13 दिनांक 30–6–2015 (सत्यप्रति योजित है)

विनोद भार्गव, एडवोकेट, ग्वालियर 17-08-2015

......2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2650/दो/2015 जिला–टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-9-16	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 180/बी–121/2012 13 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदकगण ने एक शिकायती आवेदन कलेक्टर जिला टीकमगढ को प्रस्तुत कर बताया कि भूमि खसरा नं. 215/882/1 रकवा 2.452 है0 स्थित ग्राम मामोन का अवैध विक्रय हुआ है व आवेदकगण ने दिनांक 10.10. 1994 को पंजीकृत विक्रय पत्र से भूमि खरीदी है और उसका नामान्तरण हो चुका है इस प्रकार उक्त विक्रय पत्र से धारा 165 का उल्लघंन हुआ है ऐसी स्थिति में प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया जाकर निष्पक्ष जॉच करायी जाये और अवैध तरीके से विक्रय की गयी भूमि को विक्रेतागणों के नाम दर्ज किये जाये। 3– आवेदकगणों ने उपरोक्त शिकायत प्रकरण का लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त भूमि क्रमांक कन्हैया, बचुआ, धर्मदास एवं रगवर को धारा 162 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता	

1959 के तहत् 30.10.1963 को स्थायी पट्टे पर प्रदान की गयी है एवं आवेदकगणों ने उक्त भूमि रजि0 विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त पट्टा ग्रहीताओ से क्रय की थी। मूल संहिता में 165 (7 ख) का प्रावधान नहीं थी इस प्रावधान को 24.10.80 जो ।ातिस्थापित किया गया है। जोकि भविष्य लक्षी स्वभाव का है। अतः प्रश्नगत भूमि का स्थायी पट्टा वर्ष 1963 में प्रदान किये जाने के कारण इस भूमि का हस्तांतरण 165 के प्रावधानो से वाधित नहीं है। उक्त उपबन्ध के प्रभाव भूतलच्छी नहीं है विक्रेताओ ने भी आवेदकगणों को राजिस्ट्री परिवर्तन का कभी विरोध नहीं किया बल्कि अपने-अपने शपथ पत्रों के द्वारा सहमति व्यक्त की। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार व एस.डी.ओ. टीकमगढ़ द्वारा दो बार पकरण में जांच रिपोर्ट आ चुकी है। दोनो बार प्रतिवेदन व रिपोर्ट में यह लेख किया गया है कि उक्त प्रकरण धारा 165 (7) (ख) म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत आना प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रकरण में ग्राहयता पर विचार करना चाहिये था, जो नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रचलन योग्य नहीं पाया जाता है इस न्यायालय को निगरानीशुदा आदेश के साथ-साथ प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों पर विचार करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

4- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त शिकायत की जॉच अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारी तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा कराये जाने पर संबंधित तहसीलदार द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन दिनांक 20.06.2014 को प्रस्तुत कर अभिमत दिया कि प्रश्नगत भूमि नन्दा,

कन्हैया रघुवर, धरमुआ इत्यादि को वर्ष 1963 में प्राप्त हुयी थी और इनके द्वारा 33 वर्ष बाद अनावेदकगणो वर्तमान आवेदकगण को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेची गयी थी। और वर्तमान समय में भी आवेदकगण मौके पर काबिज है राजस्व रिकार्ड में इनका नाम दर्ज है। तहसीलदार ने अपना अभिमत देने के पूर्व संबधित राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी से भी प्रतिवेदन लिया और मौके का पंचनामा तैयार करवाया।

5– यह कि उक्त शिकायत के विचाराधीन रहते हुये शिकायतकर्ता बारेलाल की मुत्यु हो गयी तब शिकायतकर्ता गोविन्द सिंह सिसोदिया जोकि अन्य शिकायत कर्ताओ के अभिभाषक भी है के द्वारा आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 22 (3) (4) व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकारीयों को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाये। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन अपने आदेश दिनांक 30.06.2015 द्वारा स्वीकार कर मृतक बारेलाल के वारिसानो को मृतक के विधिक उत्तराधिकारी की हैसियत से पक्षकार बनाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

6– प्रस्तुत प्रकरण आवेदकगणों द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है और यह राहत चाही गयी है कि अनावेदकगणो/शिकायत कर्ताओ द्वारा की गयी शिकायत धारा 165 (7) (ख) मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 एवं 158 (3) की परिधि में नही

आती और यह भी कि मृत शिकायतकर्ता के उत्तराधिकारियो को अभिलेख पर लिये जाने में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

7– वर्तमान प्रकरण में दिनांक 19.07.2016 को अनावेदकगणों के उपस्थिति हेतु पंजीकृत डाक से सूचना पत्र प्रेषित किये गये परन्तु अनावेदकगणों की ओर से न तो वह स्वंय और न ही उनके द्वारा नियुक्त अभिभाषक महोदय उपस्थित हुये है अतः सम्यक सूचना पत्र जारी होने के पश्चात् भी अनावेदकगणों के उपस्थित न होने के कारण प्रकरण को एक पक्षीय घोषित किया जाता है तथा प्रकरण की सुनवाई अनावेदकगणों की अनुपस्थिति में किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। म.प्र. शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक उपस्थित तथा उन्होने व्यक्त किया अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही विधिवत् है ऐसी स्थिति में वर्तमान निगरानी निरस्त की जाये।

8– आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालयो के अभिलेखो का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। आवेदकगणों के अभिभाषक महोदय ने मुख्य रूप से अपने तर्को को इन बिन्दुओ तक सीमित रखा है कि –

ए– शिकायत कर्ता अनावेदकगण व्यथित व्यक्ति नहीं है और इस कारण उन्हे बाद कारण (लोकस–स्टेण्डाई) प्राप्त नही होता है अतएव कि गयी शिकायत आरंभ से ही अकृत एवं शून्य है।

बी– यहकि अनावेदक क्रमांक 1 गोविन्द सिंह ने

मृतक पक्षकार बारेलाल काछी के कथित वारिसान की ओर से स्वंय आवेदन पत्र तैयार कर बिना प्रस्तावित उत्तराधिकारीयो की अनुमति के बगैर न्यायालय में प्रस्तुत किया ओर इस आवेदन पत्र के साथ अनावदेक क्रमांक 1 ने वकालत नामा भी प्रस्तुत किया जिसपर प्रस्तावित उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं है तब ऐसी स्थिति में जबकि प्रस्तावित उत्तराधिरियों की ओर से पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन ही नहीं किया गया और न ही कोई हस्ताक्षर भी वकालत नामे पर किये गये तब ऐसी स्थिति में प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किये जाने चाहिये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न करके विधिक प्रावधानो के संबंध में गंभीर त्रुटी की गयी है।

सी– यहकि, प्रश्नागत भूमि का पट्टा दिनांक 30.10.1963 को स्थाई रूप से भूमि स्वामियों क्रमशः कन्हैया, कान्ता, धर्मदास, बचुआ, रघुवर इत्यादि को धारा 162 के अन्तर्गत प्रदान किये गये थे। पट्टा प्रदान किये जाते समय मूल्य अधिनियम में धारा 165 (7) (ख) अस्तित्वत में नही थी तत्पश्चात् संशोधन दिनांक 24.10.1980 से यह धारा 165 (7) (ख) के रूप में संहिता में भविष्य लछी प्रभाव से प्रतिस्थापित की गयी। इसका अभिप्राय हुआ कि प्रति स्थापन दिनांक 24.10.1980 से पूर्व के पट्टो की भूमि विक्रय हस्तान्तरण के लिये कलेक्टर महोदय की अनुमति लेना आवश्यक नही थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति का समुचित मूल्यांकन नहीं किया।

डी– अधीनस्थ न्यायालय अनावेदकगणों शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण जॉच हेतु तहसीलदार के समक्ष भेजा था और जॉच प्रतिवेदन आवेदकगणों के पक्ष में प्राप्त होने पर भी प्रकरण को प्रचलन में रखा। जबकि इसको सतही तौर पर जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समाप्त कर दिया जाना चाहिये था।

9– अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का सूक्ष्य परिशीलन किया और आवेदकगणों के अभिभाषक महोदय के तर्क श्रवण उपरान्त न्यायालय यह पाता है कि अनावेदकगणों को प्रकरण में कोई (लोकश – स्टेण्डाई) वादकारण नही है एवं उनके द्वारा शिकायत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रकरण लंबित रखा गया है, उक्त प्रकरण 165 (7) (ख) एवं 158 (3) भू–राजस्व संहिता की परिधि में नही आता है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय में लंबित प्रकरण 180–बी/121/2012–13 निरस्त किया जाता है व अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश दिनांक 30.06.2015 भी निरस्त किया जाता है, निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य